जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं0 03 , दिनांक 28.01.2021

दिनांक 16.01.2021 को थाना कोतवाल उरई के ग्राम मडोरा में हुयी चौकीदार की हत्या का कोतवाली उरई पुलिस, एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुये हत्या में शामिल 04 अभि0गणों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –

1. प्रदीप उर्फ छोला पुत्र बाबू सिंह यादव नि0 शेरपुर थाना डेरापुर कानपुर देहात
2. कैलाश पुत्र देवीशंकर नि0 शेरपुर थाना डेरापुर कानपुर देहात
3. नाहर सिंह पुत्र रंजीत सिंह नि0 शेरपुर थाना डेरापुर कानपुर देहात
4. दौलत सिंह पुत्र मुन्नू यादव उर्फ गनपती नि0 शेरपुर थाना डेरापुर कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण –

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 04 अदद कारतूस
2. 04 अदद चाकू
3. 01 अदद मोबाइल(मृतक का)

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.01.2021 को वादी कृष्ण मुरारी पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास मिश्र नि0 289 नया पटेल नगर कस्वा व थाना उरई जनपद जालौन ने तहरीरी सूचना दी कि ग्राम मडोरा मे खेत में बने हाता में बोरिंग मशीन एवं ट्रेक्टर आदि की रखवाली के लिये करीब चार वर्ष से धरम सिंह कुशवाहा पुत्र गजौले उम्र लगभग 50 वर्ष नि0 मिहौना जनपद भिण्ड(मध्यप्रदेश) को चौकीदारी के लिये रखा था जिसकी दिनांक 16.01.2021 को समय लगभग 22.00 बजे अज्ञात व्यक्ति ने चौकीदार धरम सिंह उपरोक्त की किसी हथियार से हत्या कर लाश जलाने का प्रयास किया एवं ट्रेक्टर व बोरिंग मशीन लेकर भागने लगे जिसकी सूचना जरिये दूरभाष पुलिस को दी पुलिस की घेराबन्दी से उपरोक्त ट्रेक्टर बोरिंग मशीन सहित शंकरपुर पुल के पास छोड़कर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 34/21 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन महोदय के कुशल निर्देशन में रोकथाम अपराध, उक्त हत्या की घटना का शीघ्र ही सफल अनावरण करने के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस, एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त टीम को लगाया गया था।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

कोतवाली उरई पुलिस, एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त टीम कोतवाली उरई क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर इकलाशपुरा चौराह के पास से दिनांक 27.01.2021 को समय 23.30 बजे 04 अभियुक्तों को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभि0गणों ने बताया कि हमलोगो ने दिनांक 16.01.2021 को काशीराम कालोनी के पास शम्भू मिश्रा के खेत में बने हाता में खडे ट्रेक्टर व बोरिंग मशीन को लूटने के उद्देश्य से आये थे जिसकी चौकीदारी धरम सिंह उर्फ बब्बा कर रहे थे जिसकी चाकू से गला काट कर हत्या करके लाश को जला दिया तथा वहीं पे खडे ट्रेक्टर को बोरिंग मशीन मे जोड कर हम लोग लूट कर भाग रहे थे भागते समय रास्ते में शंकरपुर पुल के पहले पुलिस चैकिंग को देख कर लूटा गया ट्रेक्टर व बोरिंग मशीन को रोड पर ही छोड कर भाग गये थे। एवं अभि0गणों की निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त एक चाकू काशीराम कालोनी मोड़ के आगे मंदिर के पास बनी पुलिया के पास से तथा दूसरा चाकू पुलिया के पास झाडियों से बरामद किया गया व मृतक का मोबाइल अभियुक्त प्रदीप उर्फ छोला उपरोक्त के कब्जे से बरामद हुआ।

अवैध असलाहा व निशानदेही पर बरामद चाकू के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अन्तर्गत धारा आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगणों के विषय में अन्य जनपदों व अन्य राज्यों से अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर मिश्रा कोत0 उरई
2-निरीक्षक श्री प्रवीन कुमार प्रभारी एसओजी
3- उ0नि0 श्री दिव्य प्रकास तिवारी कोत0 उरई
4-उ0नि0 श्री कुल भुषण सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल
5- हे0का0 80 निरंजन सिंह एस0ओ0जी0
6-हे0का0 200 श्रीराम प्रजापति एस0ओ0जी0
7-हे0का0 325 भूपेन्द्र सिंह एस0ओ0जी0
8-हे0का0 214 राजीव सिंह एस0ओ0जी0
9- हे0का0 मनोज सोनकर सर्विलांस सेल
10- का0 1361 नीतू कुमार एस0ओ0जी0
11-का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एस0ओ0जी0
12-का01664 विनय प्रताप एस0ओ0जी0
13- का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल
14- का0 1539 रोहित रावत सर्विलांस सेल
15-का0 1080 करमवीर सिंह सर्विलांस सेल
16-चालक का0 पुनीत कुमार एस0ओ0जी0
17-का0 1851 सोमेश त्रिपाठी कोत0 उरई
18-का0 1856 प्रदीप कुमार कोत0 उरई
19-का0 1855 आशुतोष सिंह कोत0 उरई
20-का0 1118 आशुतोष गौतम कोत0 उरई
21-म0का0 प्रगति शर्मा कोत0 उरई
22- चालक मुकेश पुरोहित कोत0 उरई